अनुमत

फार्म 'अ'
(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

...ीय अधिकारी(रा0)के न्यायालय में मामला क्रमांक ....202505050100016........./2024–2025
...:–..........वृक्ष काटने की अनुमति बाबत्................मामले की श्रेणी...........अ–62...............सन्.........2024–2025
...म –......पाढ़ीमार ....बन्दोबस्त क्रमांक...........पटवारी हल्का कमांक...............तहसील................कोरबा..............
...लेक्टर का कमांक..............सन्...............अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ....सन्......2024–2025
...हसीलदार का क्रमांक.......................सन्..............................नायब तहसीलदार का क्रमांक..................सन्.....................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही केदार नाथ यादव बनाम छ0ग0शासन	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
2/5/25	–आवेदक केदार नाथ यादव, निवासी –शांति नगर हाउसिंग बोर्ड बाल्को, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र कमांक 25270050900011 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि वार्ड क्रमांक–39 के श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास 01 महुआ का पेड़ सूख गया है, जिसका जड़ के पास एकदम सड़ गया है, कभी भी गिर सकता है। दुर्घटना होने की संभावना है। पेड़ के दो भागों के बीच बिजली का केबल गया हुआ है, बहुत खतरनाक है, अविलंब कटवाने की कृपा करें। –उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप–घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। –प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। –प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप –घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में 01 नग सूखा महुवा का स्थित है, जिसके चारो ओर आवासीय मकान निर्मित है। वृक्ष की पतली डंगाल स्वयमेव टुट रहे है, जन–धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। – अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से वार्ड कमांक–39 के श्री राधा कृष्ण मंदिर बालको के पास 01 महुआ का पेड़ सूख गया है, जिसे काटने की अनुमति दी जाती है। –संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा छ0ग0 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	

934
05/05/2025

प्ररूप—ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

केदार नाथ यादव पिता ना0मा0
ग्राम—शांति नगर हाउसिंग बोर्ड बालको
तहसील.—कोरबा, थाना / बालको नगर
जिला.—कोरबा

विषयः— प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति बावत्।

विषयान्तर्गत आवेदक केदार नाथ यादव, निवासी —शांति नगर हाउसिंग बोर्ड बाल्को, तहसील व जिला—कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र कमांक 25270050900011 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि वार्ड कमांक—39 के श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास 01 महुआ का पेड़ सूख गया है, जिसका जड़ के पास एकदम सड़ गया है, कभी भी गिर सकता है। दुर्घटना होने की संभावना है। पेड़ के दो भागों के बीच बिजली का केवल गया हुआ है, वहुत खतरनाक है, अविलंब कटवाने की कृपा करें। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप—घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई।

प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप —घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में 01 नग सूखा महुवा का स्थित है, जिसके चारो ओर आवासीय मकान निर्मित है। वृक्ष की पतली डंगाल स्वयमेव टुट रहे है, जन—धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (वासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से वार्ड कमांक—39 के श्री राधा कृष्ण मंदिर बालको के पास 01 महुआ का पेड़ सूख गया है, जिसे काटने की अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 2/5/2025
05/05/2025

पृ0क0 935/अ0वि0अ0/वा0—1/2025
प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर जिला—कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल—कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। काटे जाने वृक्षों को वन विभाग के सुपुर्द में लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. तहसीलदार, तहसील—कोरबा को राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)